

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

पार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. गणाराम पुत्र सवाजी देवासी
2. जोगाराम पुत्र प्रभुजी देवासी
3. नगाराम पुत्र जेपारामजी देवासी
4. टिकमाराम पुत्र धुलाजी घाँची  
निवासीगण ग्राम कोसेलाव, तहसील  
सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार  
सुमेरपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत कोसेलाव, जरिये सरपंच, तहसील  
सुमेरपुर जिला पाली

राजस्व विविध 66 / 2018

आर.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018 / 00 401

स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.10.2018	पार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 05/2017 अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. बअनवान गणाराम बनाम तहसीलदार सुमेरपुर में कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु पेश किया। पार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.11.2018 को पेश हो।	1419 15/10/18
26.11.18	वकील पार्थी 34.1 श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 21.1.19 को पेश हो।	
21-1-19	वकील पार्थी उपर स्थगन प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना के साथ दिनांक 19/3/19 को पेश हो।	
19/3/19	श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो।	
14/5/19	वकील पार्थी उपर इस स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 63/2018 गणाराम बनाम सरकार को <i>intertous</i> हो जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है। इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली द्वारा फेराल की जाकर न्याय से कम हो।	
	जिला कलेक्टर पाली (राज.)	
	जिला कलेक्टर, पाली	